रा.पु.मु.ज. / 5–99 / 70,000

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

बुक नं.

1. जिला.चौकी भ्र0 नि0 ब्यूरो, भरतपुर, ...थाना. प्र0आ0 केन्द्र,भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर... वर्ष ..2023...
   प्र. इ. रि. स. ....136/2023...... दिनांक ....31/5/2023............
2. (अ) अधिनियम भ्र0 नि0 (संशोधित) अधिनियम **वर्ष** 2018 . .धारायें...**7**..............................
   (ब) अधिनियम ....धारायें...
   (स) अधिनियम ....धारायें..
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या ....606.......समय.........6:10 PM..............................
   (ब) अपराध घटने का दिन–दि.–मंगलवार / 30.05.2023 / 02.35 पीएम ...
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 24.05.2023 समय. 10.50 एएम...............................
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :– प्राईवेट मकान (पटवार घर) कच्चा सरसैना रोड हलैना।
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – दक्षिण दूरी करीब 40 कि0मी0 ....
   (ब) पता – ....बीट सख्या ....जरायमदेहीसं........................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो ...पुलिस थाना..............जिला.....................

6.परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम **श्री गिरधर सिंह**
   (ब) पिता / पति का नाम श्री समय सिंह जाति जाट......(स) जन्म तिथि / वर्ष 47 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता.........भारतीय ....
   (य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी............जारी होने की जगह...................................
   (र) व्यवसाय...... ।

(ल) पता....ग्राम मूडिया साद पुलिस थाना हलैना जिला भरतपुर।

7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1– जगमोहन यादव पुत्र श्री दयाराम यादव जाति यादव उम्र 29 साल निवासी तरूण मोटर के पास कठूमर रोड खेडली गंज पुलिस थाना खेडली जिला अलवर हाल पटवारी पटवार हल्का आमोली उप तहसील हलैना जिला भरतपुर ।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही...................................
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ....
   ....3,000 / –रू0 रिश्वत राशि ....
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्य . पंचनामा / यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो)........
   ....3,000 / –रू0 रिश्वत राशि ....
11. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0) (यदि कोई हो तो) ....नहीं......................
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)...................

सेवामें श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर विषय– रिश्वत लेते हुए रंगें हाथों पकडवाने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मै गिरधर सिंह पुत्र समय सिंह जाति जाट निवासी मूडिया साद थाना हलैना जिला भरतपुर का रहने वाला हूं मैने दिनांक 09.05.2023 को रजिस्ट्री हाइवे के पास वाले खेत की हलैना उप तहसील में करवाई थी जिसका नामान्तरण खुलवाने के लिए मैं आमोली मंडल के पटवारी जगमोहन से मिला तो उसने नामान्तरण खोलने की एवज में मुझसे 6000 रूपये मांगे जिसमें कुछ पैसें मुझको उपर उप तहसीलदार को भी देने हैं आप मझको पैसे देंगें तभी आप नामान्तरण खुलेगा। मै पटवारी को

होकर एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट मय स्वयं के आधार कार्ड मय रजिस्ट्री की छायाप्रति के अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर के पद नाम मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को इस आशय की पेश की कि मैं गिरधर सिंह पुत्र समय सिंह जाति जाट निवासी मूडिया साद थाना हलैना जिला भरतपुर का रहने वाला हूं मैने दिनांक 09.05.2023 को रजिस्ट्री हाइवे के पास वाले खेत की हलैना उप तहसील में करवाई थी जिसका नामान्तरण खुलवाने के लिए मैं आमोली मंडल के पटवारी जगमोहन से मिला तो उसने नामान्तरण खोलने की एवज में मुझसे 6000 रूपये मांगे इसके बाद ही नामान्तरण खोलने की बात कही मै पटवारी को रिश्वत में 6000 रूपये नहीं देना चाहता हूं रिश्वत लेते हुए रंगें हाथों पकडवाना चाहता हूं कार्यवाही करने की कृपा करें मेरी पटवारी जगमोहन से कोई पुरानी रंजिश व लेन देन नहीं है। उपरोक्त रिपोर्ट पर परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो तहरीरी रिपोर्ट व मजीद दरियाप्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर समय 12.30 पीएम रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के क्रम में डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी से श्री रीतराम हैड कानि0 45 से निकलवाकर परिवादी श्री गिरधर सिंह को चालू एवं बन्द करने की विधि समझायी गई उक्त विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री विनोद सिंह कानि. को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह परिवादी गिरधर सिंह को आरोपी के जाने से पूर्व अपना परिचय देकर सुपुर्द करे तथा परिवादी के बाहर आने पर वापस प्राप्त कर ज्यों का त्यौं सुरक्षित लेकर आवे इससे छेडछाड नही करें रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी एवं कानि0 विनोद सिंह को मय सरकारी मोटर साईकिल आरजे 14 एन बी 5665 से हलैना रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 05.00 पीएम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक अन्य राजकार्य में गया हुआ वापस कार्यालय आया जहां श्री विनोद सिंह कानि. मय परिवादी गिरधर सिंह के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा उपस्थित कार्यालय मिला। परिवादी श्री गिरधर सिंह ने बताया कि आरोपी श्री जगमोहन पटवारी पटवार हल्का आमोली उप तहसील हलैना जिला भरतपुर से मेरी वार्ता हो गई है उसने मेरे नामान्तरण खोलने की एवज में रिश्वत के रूप में 3,000/– रूपये मांगे हैं। मैंने जगमोहन पटवारी से हुई वार्तालाप को इस वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। जगमोहन पटवारी ने परसो दिनांक 26.05.2023 को रिश्वती राशि देने की कहा है। प्राप्तशुदा वॉइस रिकॉर्डर को सुना गया तो वॉइस रिकॉर्डर में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। परिवादी द्वारा बतायी गई उपरोक्त वार्ता सही पायी गई। श्री विनोद कानि0 ने बताया हम रवाना होकर हलैना पहुंचे थे और बाद सत्यापन करीब 03.00 पीएम पर उपस्थित कार्यालय आ गये थे। रिकॉर्ड वार्तालाप का रूपान्तरण पृथक से तैयार किया जाकर पेन ड्राईव तैयार की जावेगी। विनोद सिंह कानि. से डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर जरिये फर्द वापसी प्राप्त किया, फर्द शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 06.10 पीएम पर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में परिवादी गिरधर सिंह एवं आरोपी जगमोहन पटवारी के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है को कम्प्यूटर में सेव किया गया। रूबरू गवाहान व परिवादी के समक्ष पेन ड्राईव तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से रूपान्तरण गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में तैयार किया गया। पेन ड्राईव की और दो पेन ड्राईव तैयार करवायी गई। मूल पेन ड्राईव एवं मुल्जिम पेन ड्राईव प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " ए " अंकित करवाकर मूल पेन ड्राईव एवं मुल्जिम प्रति पेन ड्राईव को कपडे की थेली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मूल व मुल्जिम पेन ड्राईव को सुरक्षित मालखाना रखने हेतु श्री रीतराम हैड

उपस्थित होने हेतु आयुक्त नगर निगम भरतपुर के नाम तहरीरी जारी कर कार्यालय नगर निगम भरतपुर रवाना किया गया। तत्पश्चात 02.00 पीएम पर श्री यशपाल कानि. 473 उपरोक्त फिकरावाला का रवाना शुदा बाद करके पाबन्द स्वतन्त्र गवाह श्री प्रदीप मिश्रा सहायक अभियंता व श्री कृष्ण गोपाल कनिष्ठ लिपिक को कार्यालय आयुक्त नगर निगम भरतपुर से वापस चौकी उपस्थित आया। इसके बाद दिनांक 26.05.2023 समय 09.30 एएम पर पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी श्री गिरधर सिंह आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि लेकर उपस्थित कार्यालय आया जिसे कार्यालय में ही बिठाया गया। तत्पश्चात समय 09.45 एएम पर पूर्व से पाबन्द शुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान उपस्थित कार्यालय आये मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने स्वयं का परिचय देकर उक्त दोनों स्वतन्त्र गवाहान से उनका परिचय पूछा गया तो उन्होने अपना नाम श्री प्रदीप मिश्रा पुत्र श्री रमेश मिश्रा जाति ब्राहमण उम्र 31 साल निवासी ग्राम सीताराम का पुरवा बीकापुर अयोध्या पुलिस थाना बीकापुर जिला अयोध्या उत्तर प्रदेश हाल सहायक अभियंता नगर निगम भरतपुर व श्री कृष्ण गोपाल पुत्र श्री बच्चू सिंह जाति गुर्जर उम्र 29 साल निवासी बुध्द की हाट गंगा मन्दिर के पास भरतपुर पुलिस थाना मथुरा गेट जिला भरतपुर हाल कनिष्ठ सहायक नगर निगम भरतपुर होना बताया होना बताया। परिवादी पूर्व से ही कार्यालय में उपस्थित है। गवाहान का परिचय परिवादी श्री गिरधर सिंह से करवाया जाकर उसके द्वारा करवाई जा रही ट्रेप कार्यवाही की लिखित रिपोर्ट को स्वतन्त्र गवाहान को पढकर सुनाया, दोनों स्वतंत्र गवाहान से कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की अनुमति चाही गई तो दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपनी अपनी मौखिक रूप से स्वीकृति दी तथा प्रमाण स्वरूप स्वतन्त्र गवाहान द्वारा लिखित रिपोर्ट पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात समय 10.45 एएम पर मौतबिरान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा परिवादी श्री गिरधर सिह पुत्र श्री समय सिंह जाति जाट उम्र 47 साल निवासी मूडिया साद पुलिस थाना हलैना जिला भरतपुर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से भारतीय मुद्रा के 06 नोट पांच पांच सौ रूपये के कुल 3,000/– रूपये निकालकर पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र.सं	नोट का प्रकार	नोटों के नम्बर
1	एक नोट पांच सौ रूपये का	2 KE 152505
2	एक नोट पांच सौ रूपये का	9 UE 164257
3	एक नोट पांच सौ रूपये का	0 NH 338253
4	एक नोट पांच सौ रूपये का	6 FF 183506
5	एक नोट पांच सौ रूपये का	2 MM 385623
6	एक नोट पांच सौ रूपये का	5 WC 143051

उपरोक्त पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल–बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर श्री यशपाल कानि. 473 से मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्री यशपाल कानि. से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली–भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री गिरधर सिंह की जामा तलाशी गवाह श्री कृष्ण गोपाल कनिष्ठ सहायक से लिवायी जाकर परिवादी के पास पहने हुए परिधान एवं उसके मोवाईल के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे भारतीय मुद्रा के 3,000/–रूपये के नोटों को श्री यशपाल कानि. से परिवादी श्री गिरधर सिंह की पहनी

कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें थोडा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री यशपाल कानि. के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन को कार्यालय के बाहर फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को बंद ढक्कन कराकर श्री यशपाल कानि. से आलमारी में रखवाया गया। गिलास व श्री यशपाल कानि. के दोनों हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया। गिलास को कार्यालय में ही छोडा गया। इसके बाद दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये। इसके बाद परिवादी श्री गिरधर सिह को छोडकर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से श्री रीतराम हैड कानि0 द्वारा अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी श्री गिरधर सिंह को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। पाउडर लगाने वाले श्री यशपाल कानि. को कार्यालय में ही छोडा गया। फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय 12.20 पीएम पर श्री रीतराम हैड कानि. 45 मय श्री परसराम कानि. 203, श्री दिलीप सिह कानि0 610 , श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 106 मय दोनों स्वतंत्र गवाहान के मय प्राईवेट गाडी मय प्राईवेट ड्राईवर के आगे आगे रवाना कर उनके पीछे पीछे मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय श्री हरभान सिह कानि0 591 , श्री सुशील कुमार कानि0 557 , श्री रितेश कानि. 64, श्री विनोद सिंह कानि0 114 , श्री गम्भीर सिंह कानि0 475 मय परिवादी श्री गिरधर सिंह मय प्राईवेट गाडी मय प्राईवेट चालक मय सरकारी लेपटॉप, प्रिटंर एवं ट्रेप बॉक्स के उप तहसील कार्यालय हलैना वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। तत्पश्चात समय 01.30 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान गवाहान व ट्रेप पार्टी व परिवादी के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा कच्चा सरसैना रोड हैलना पहुंचा जहां वाहनों को साईड में खडा कर परिवादी को आरोपी से मिलने प्राईवेट मकान (पटवार घर) रवाना किया जाकर परिवादी के पीछे पीछे श्री विनोद सिंह कानि0 , श्री रितेश कुमार कानि0 व श्री दिलीप सिंह कानि0 को रवाना किया गया तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के सरसैना रोड हलैना पर अपनी पहचान छुपाते हुए खडा हो गया तत्पश्चात समय 01.55 पीएम पर परिवादी श्री गिरधर सिंह बिना ईशारा किये वापस आया परिवादी ने आकर मन अति0 पुलिस अधीक्षक को बताया कि आरोपी पटवारी जगमोहन राजस्थान सरकार द्वारा चलाये जा रहे मंहगाई राहत कैम्प में व्यस्त हैं आज उनके मिलने की सम्भवना नहीं इस पर पविादी से पूर्व में सुपुर्द शुदा वॉईस टेप

समक्ष कानि यशपाल से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की जेब में रखी रिश्वत राशि को निकलवा कर पूर्व में कार्यालय में बनाई गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर से मिलान करवाया गया तो नोटों के नम्बर हूबहू पाये गये। उक्त रिश्वती राशि को एक लिफाफे में रख कर सुरक्षा की दृष्टि से मालखाना प्रभारी श्री रीतराम हैड कानि0 45 को सुपुर्द कर मालखाने में रखवाई गई। एवं परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत दी गई व परिवादी से समझाईस की गई कि आरोपी जब भी रिश्वत राशि की मांग करता है तो मन अति0 पुलिस अधीक्षक को सूचित करे। दोनों स्वतंत्र गवाह को यह हिदायत दी गई की जब भी कार्यवाही में आवश्यकता पडने पर आपको बुलाया जावेगा तो आप कार्यालय में उपस्थित होगें। बाद हिदायत दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को रूखसत किया गया। इसके बाद 30.05.2023 को समय 10.35 एएम पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी श्री गिरधर सिंह उपस्थित कार्यालय आया जिसने मन अति0 पुलिस अधीक्षक को बताया कि आरोपी ने मुझे आज अपने पास पटवार घर बुलाया है परिवादी को कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चात समय 11.00 एएम पर पूर्व से तलब शुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री प्रदीप मिश्रा सहायक अभियंता नगर निगम भरतपुर व श्री कृष्ण गोपाल कनिष्ठ सहायक नगर निगम भरतपुर उपस्थित कार्यालय आये जिनको कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चात समय 12.20 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 26.05.2023 को सुरक्षा की दृष्टि से मालखाना में रखवाई गई रिश्वती राशि 3000 रूपये को जरिये श्री रीतराम हैड कानि0 45 से निकलवा कर श्री यशपाल कानि0 द्वारा रिश्वती राशि को लिफाफे से निकलवा कर गिनवाया तो 500–500 सौ के 06 नोट कुल 3000 रूपये होना पाये गये जिनका मिलान दिनांक 26.05.2023 को कार्यालय में बनाई गई फर्द पेशकशी से कराया गया तो नोटों के नम्बर हूबहू पाये गये तत्पश्चात परिवादी श्री गिरधर सिंह की जामा तलाशी गवाह श्री कृष्ण गोपाल कनिष्ठ सहायक से लिवायी जाकर परिवादी के पास पहने हुए परिधान एवं उसके मोवाईल के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे भारतीय मुद्रा के 3,000/–रूपये के नोटों को श्री यशपाल कानि. से परिवादी श्री गिरधर सिंह की पहने हुए कुर्ता की बांयी तरफ की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर उसे हिदायत दी कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा उससे हाथ नहीं मिलावे यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोडकर अभिवादन करे, आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर/मोबाईल से फोन कर रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा करे। उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी तथा आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद श्री यशपाल कानि. के दोनों हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया। इसके बाद दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये। इसके बाद परिवादी श्री गिरधर सिह को छोडकर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में

कानि0 610 ,श्री रितेश कानि. 64 मय दोनों स्वतंत्र गवाहान के मय प्राईवेट गाडी मय प्राईवेट ड्राईवर के आगे आगे रवाना कर उनके पीछे पीछे मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय श्री हरभान सिह कानि0 591 , श्री सुशील कुमार कानि0 557 ,श्री विनोद सिंह कानि0 114, गम्भीर सिंह कानि0 475 मय परिवादी श्री गिरधर सिंह मय प्राईवेट गाडी मय प्राईवेट चालक मय सरकारी लेपटॉप, प्रिटंर एवं ट्रेप बॉक्स के उप तहसील कार्यालय हलैना वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। पाउडर लगे रिश्वती राशि को रखने वाले श्री यशपाल कानि. को कार्यालय में ही छोडा गया। तत्पश्चात समय 01.40 पीएम मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान गवाहान व ट्रेप पार्टी व परिवादी के रवानाशुदा कच्चा सरसैना रोड हैलना पहुंचा जहां वाहनों को साईड में खडा कर परिवादी को आरोपी से मिलने प्राईवेट मकान (पटवार घर) रवाना किया जाकर परिवादी के पीछे पीछे श्री विनोद सिंह कानि0 , श्री रितेश कुमार कानि0 व श्री दिलीप सिंह कानि0 को रवाना किया गया तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के सरसैना रोड हलैना पर अपनी पहचान छुपाते हुए खडा हो गया तत्पश्चात समय 02.35 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मीणा को परिवादी के नियत ईशारे की सूचना प्राप्त होने पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान स्वतन्त्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के कच्चा सरसैना रोड हलैना पर स्थित देशी व अंग्रेजी शराब के ठेके के पास से रवाना होकर प्राईवेट मकान (पटवार घर) पहुंचा जहां प्राईवेट मकान (पटवार घर) के बाहर परिवादी श्री गिरधर सिंह उपस्थित मिला जिससे पूर्व में सुपुर्द शुदा डिजीटल वॉईस रिकॉडर को प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा परिवादी श्री गिरधर सिंह ने पास में ही खडे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर के बताया कि यही पटवारी जगमोहन यादव है जिसने अभी अभी मेरे से मेरे खरीदे हुऐ खेत की रजिस्ट्री का नामान्तरण खोलने की एवज में 3000 रूपये अपने दांये हाथ से लेकर अपने पहने हुए जीन्स पेन्ट की सामने की दांयी तरफ की जेब में रख लिये है रिश्वत राशि 3000 रूपये अभी भी पटवारी जगमोहन यादव के पहने हुए जीन्स पेन्ट की सामने की दांयी तरफ की जेब में रखी है इस पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी मय ट्रेप पार्टी के पास में खडे व्यक्ति के पास पहुंचा उक्त व्यक्ति को मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उक्त व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम जगमोहन यादव पुत्र श्री दयाराम यादव जाति यादव उम्र 29 साल निवासी तरूण मोटर के पास कठूमर रोड खेडली गंज पुलिस थाना खेडली जिला अलवर हाल पटवारी पटवार हल्का आमोली उप तहसील हलैना जिला भरतपुर होना बताया जिससे परिवादी श्री गिरधर सिंह से ली गई रिश्वत राशि 3000 के संबंध में पूछा तो पटवारी जगमोहन ने बताया कि मैने गिरधर सिंह से कोई पैसे नहीं लिये है गिरधर सिंह ने जबरदस्ती पैसे मेरी जेब में रखें हैं और इसके बाद जगमोहन पटवारी जोर जोर से चिल्लाने और अपने हाथों को कपडो से रगडने लगा। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार आरोपी पटवारी जगमोहन का बायां हाथ श्री विनोद सिंह कानि0 114 व दायां हाथ श्री रीतराम हैड कानि0 45 से कलाईयों के उपर से पकडवाया गया। तत्पश्चात आरोपी को उसके कार्य करने के कमरे में हाथ पकडी हूई अवस्था में लेकर पहूंचा पुनः तसल्ली देकर पूछा गया तो आरोपी

काम करने की बात कही थी मैने गिरधर सिंह से कोई पैसे नहीं मांगे थे। इसके बाद आज गिरधर सिंह मेरे पास आया और मै गिरधर सिंह को गिरदावर राकेश जी के पास लेकर गया। फिर मै गिरधर सिंह व गिरदावर राकेश जी की कमरे से बाहर आकर खडे हो गये और इसके बाद गिरधर सिंह नें आनन फानन में मेरी जेब में जबरदस्ती एक मुस्त पैसे रख दिये मैने गिरधर सिंह से ना कोई रिश्वत ली है और ना ही कोई रिश्वत की मांग की है। इस पर पास में खडे परिवादी गिरधर सिंह ने आरोपी की बातों का खण्डन करते हुए कहा की पटवारी जी झूठ बोल रहे हैं। पटवारी जी ने मेरे द्वारा खरीदे गये खेत की रजिस्ट्री का नामान्तरण खोलने की एवंज में 6000 रूपये की मांग की थी जिसकी शिकायत मैने दिनांक 24.05.2023 को आपके कार्यालय में आकर की थी जिसपर आप द्वारा दिनांक 24.05.2023 को ही रिश्वत मांग का सत्यापन कराया गया था और आज दिनांक 30.05.2023 को पटवारी जगमोहन यादव ने 3000 रूपये अपने दांये हाथ से लेकर अपने पहने हुए जीन्स पेन्ट की सामने की दांयी तरफ की जेब में रख लिये है इस पर अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप बॉक्स में से एक स्टील के कटोरे को निकलवाकर कक्ष में रखे पानी से भरी हुई प्लास्टिक की बडी बोतल में से लौटे से साफ पानी मंगवाकर स्टील के कटोरे को साफ पानी से अच्छी तरह साफ करवाकर साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर गवाह श्री प्रदीप मिश्रा सहायक अभियंता से हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर स्टील के कटोरे के घोल में श्री जगमोहन यादव पटवारी के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क आर एच–1 व आर एच–2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। पुनः स्टील के कटोरे को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में श्री जगमोहन यादव पटवारी के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल एच–1 व एल एच–2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात गवाह श्री कृष्ण गोपाल कनिष्ठ सहायक से आरोपी पटवारी जगमोहन के पहने हुए जीन्स पेन्ट के सामने के दांयी तरफ की जेब की तलाशी लिवाई गई तो भारतीय मुद्रा के पांच–पांच सौ रूपये के 06 नोट कुल 3,000 रूपये पाये गये गवाहान से पूर्व में कार्यालय में बनाई गई फर्द पेशकशी से उक्त नोटो का मिलान करवाया गया तो नम्बर हुबहु पाये गये जिनका विवरण निम्न प्रकार है–

क्र.सं	नोट का प्रकार	नोटों के नम्बर
1	एक नोट पांच सौ रूपये का	0 NH 338253
2	एक नोट पांच सौ रूपये का	5 WC 143051

तैयार कर आरोपी पटवारी जगमोहन यादव के पहने हुए पेन्ट को उतरवा कर बाजार से पाजामा मंगवाया जाकर उसे पहनने को दिया जाकर जीन्स पेन्ट को उल्टा कर दाहनीं तरफ के सामने के जेब को घोल में धुलवाया गया तो धोवन में पेन्ट का रंग सलेटी भी धुल गया जिससे धोवन का रंग सलेटी गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क पीपी–1 व पीपी–2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। पेन्ट के जेब को सुखवा कर जीन्स पेन्ट का अवलोकन किया गया तो पेन्ट का सलेटी रंग है जिसपर पीछे बैल्ट के नीचे स्थान पर स्टीकर लगा हुआ है जिसपर मुफ्ती जीन्स अंग्रेजी में व कमर के नीचे 34 मेड इन इण्डिया अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है के सामने के बांयी तरफ के जेब पर सिल्वर कलर के जैल पेन से संबंधित के हस्ताक्षर करा कर एक सफेद कपडे की थैली रखवाकर थैली को सिलवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर भी सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क "पी" अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। परिवादी से प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसका पृथक से रूपान्तरण कार्यालय में कम्प्यूटर की सहायता से हैड फोन से सुना जाकर तैयार करवाया जावेगा। आरोपी जगमोहन यादव पटवारी से परिवादी गिरधर सिंह से संबंधित पत्रावली के संबंध में पूछा तो कोई स्पष्ट जबाब नहीं दिया परिवादी से संबंधित पत्रावली उप तहसील हलैना से पृथक से प्राप्त किया जाकर जरिये फर्द पृथक से जप्त किया जावेगा। आरोपी जगमोहन यादव पटवारी पटवार हल्का आमोली उप तहसील हलैना जिला भरतपुर का उक्त कृत्य धारा 7, पीसी 1988 यथा संशोधित वर्ष 2018 के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता है। अतः उक्त आरोपी को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जावेगा। फर्द बरामदगी पृथक से मूर्तिव की जाकर बाद संबंधित के हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी के निवास स्थान की खाना तलाशी हेतु उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया। तत्पश्चात समय 05.30 पीएम पर घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका परिवादी की निशादेही पर गवाहान की मौजूदगी में पृथक से तैयार किया गया। फर्द नक्शा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 05.45 पीएम पर प्राईवेट मकान (पटवार घर) पर भीड अधिक हो जाने व लाईट की व्यवस्था नहीं होने के कारण अग्रिम कार्यवाही हेत मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमरायीयान जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय हमराह आरोपी मय जप्त शुदा रिश्वती राशि मय धोवन की शील्ड शुदा शीशी मुताबिक फर्दात के मय सरकारी लेपटॉप प्रिन्टर व ट्रेप बॉक्स के पुलिस थाना हलैना रवाना होकर समय 05.55 पीएम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमरायीयान जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय हमराह आरोपी मय जप्त शुदा रिश्वती राशि मय धोवन की शील्ड शुदा शीशी मुताबिक फर्दात के मय सरकारी लेपटॉप प्रिन्टर व ट्रेप बॉक्स के पुलिस थाना हलैना पहुंचा जहां अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। तत्पश्चात समय 06.00 पीएम पर रूबरू गवाहान के समक्ष आरोपी श्री जगमोहन यादव पुत्र श्री दयाराम यादव जाति यादव उम्र 29 साल निवासी तरूण मोटर के पास कठूमर रोड खेडली गंज पुलिस थाना खेडली जिला अलवर हाल पटवारी पटवार हल्का आमोली उप तहसील हलैना जिला भरतपुर को परिवादी श्री गिरधर सिंह से नामान्तरण खोलने की एवज में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 24.05.2023 को 3,000/–रूपये रिश्वत की मांग करना व मांग के अनुसरण में आज दिनांक 30.05.2023 को परिवादी से 3000 रूपये

1112/433 के नामान्तरण सम्बन्धी दस्तावेजात श्री अमित कुमार नायब तहसीलदार हलैना के द्वारा प्रस्तुत किये गये जिनका अवलोकन किया गया तो पेज संख्या 01 लगायात 04 है नायब तहसीलदार अमित कुमार ने बताया कि पटवार मण्डल आमोली के नामान्तरण प्रविष्ठि क्रम संख्या 196 दिनांक 16.05.2023 को श्री गिरधर सिंह पुत्र समय सिंह निवासी मूडिया साद के नाम दर्ज हुआ है जो प्रक्रियाधीन है उक्त नामान्तरण ऑन लाईन दस्तावेज की कार्यवाही हाजा में बतौर बजह सबूत आवश्यकता होने पर उक्त दस्तावेजों को नायब तहसीलदार श्री अमित कुमार से प्रमाणित करवा कर जप्त कर कब्जा एसीबी लिया गया नामान्तरण दस्तावेज के प्रथम व अंतिम पृष्ठ पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द जप्ती बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 07.00 पीएम पर परिवादी गिरधर सिंह से दौराने ट्रेप कार्यवाही प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर जिसमें वक्त रिश्वत लेन–देन परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्तालाप रिकॉर्ड है, को लेपटॉप से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के पेन ड्राईव तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से रूपान्तरण गवाहान, परिवादी व समकर्मी अमित कुमार नायब तहसीलदार की मौजूदगी में तैयार किया गया। पेन ड्राईव की और दो पेन ड्राईव तैयार करवायी गई। मूल पेन ड्राईव एवं मुल्जिम पेन ड्राईव प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " बी " अंकित करवाकर मूल पेन ड्राईव एवं मुल्जिम प्रति पेन ड्राईव को कपडे की थेली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मूल व मुल्जिम पेन ड्राईव को मालखाना प्रभारी श्री रीतराम हैड कानि0 को दुरूस्त हालत में सम्भलाया गया तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 08.20 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरीयान गवाहान, परिवादी, ट्रेप पार्टी के सदस्यों एवं गिरफ्तारशुदा अभियुकत श्री जगमोहन यादव पटवारी जरिये प्राईवेट वाहन से बाद ट्रेप कार्यवाही मय जप्तशुदा रिश्वती राशि, धोवन की शील्ड शीशियां, शील्ड पेन्ट पैकिट , शील्ड पेन ड्राईव मुताबिक फर्दात के लेपटॉप मय प्रिंटर के पुलिस थाना हलैना से एसीबी चौकी भरतपुर के लिये रवाना होकर समय 09.30 पीएम पर मय हमरीयान गवाहान, परिवादी, ट्रेप पार्टी के सदस्यों एवं गिरफ्तारशुदा अभियुकत श्री जगमोहन यादव पटवारी के जरिये प्राईवेट वाहन से रवानाशुदा गिरफ्तार शुदा आरोपी जगमोहन यादव का स्वास्थ परीक्षण सीएचसी हलैना कराते हुए पुलिस थाना मथुरा गेट पहुंचा जहां आरोपी को बन्द हवालात कराया गया बाद कराकर बन्द हवालात आरोपी रवाना हो एसीबी कार्यालय पहुचा। जप्तशुदा एवं शील्डशुदा रिश्वती राशि 3,000/–रूपये, धोवन की छः सील्ड शीशियां, शील्ड पेन्ट पैकिट , शील्ड पेन ड्राईव मुताबिक फर्दात श्री रीतराम मुख्य आरक्षक से दुरूस्त हालात में सुपुर्द कर जमा मालखाना करवायी गई। तत्पश्चात समय 10.15 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 52 को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। फर्द की एक प्रति गवाह श्री प्रदीप मिश्रा सहायक अभियंता को दी गई। बाद सम्पन्न कार्यवाही परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखस्त किया गया।

अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी जगमोहन यादव पटवारी पटवार हल्का आमोली उप तहसील हलैना जिला भरतपुर द्वारा परिवादी श्री गिरधर सिंह से उसके द्वारा हाईवे के पास खरीदे हुए खेत खसरा नं0

यादव उम्र 29 साल निवासी तरूण मोटर के पास कठूमर रोड खेडली गंज पुलिस थाना खेडली जिला अलवर हाल पटवारी पटवार हल्का आमोली उप तहसील हलैना जिला भरतपुर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर प्रेषित है।

(महेश मीणा)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
भरतपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेश मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री जगमोहन यादव पुत्र श्री दयाराम यादव, पटवारी, पटवार हल्का आमोली, उप तहसील हलैना, जिला भरतपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 136/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

31/5/23

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 1035-38 दिनांक 31.05.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. जिला कलक्टर, भरतपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर।

31/5/23

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।